

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर

क्रमांक 547 /ब-4/वित्त/2023, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16 /03/2023
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त कोषालय/उप कोषालय अधिकारी
छत्तीसगढ़।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में समस्त आहरण अधिकारियों द्वारा चेक बुक कोषालयों में जमा करने तथा कार्य विभागों द्वारा ई-कूबेर के माध्यम से ऑनलाईन पेमेंट पर रोक विषयक।

संदर्भ:- (1) वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 318/ब-1/चार/2002 दिनांक 26.2.2002 (वित्त निर्देश-10/2002)

-----00-----

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 24 मार्च, 2023 को संध्या 5.00 बजे समस्त चेक आहरण अधिकारी, अपनी चेक बुक कोषालय अधिकारी के पास जमा करेंगे तथा उपयोग किए गए/निरंक चेक का विवरण कोषालय अधिकारी को चेक बुक के साथ देंगे।

2. दिनांक 27 मार्च, 2023 से ऐसे अपरिहार्य प्रकरणों में, जिनमें कि कतिपय व्ययों को, जो जनहित या प्रशासन के हित में अनिवार्य है, स्थानीय जिलाध्यक्ष के समक्ष पूर्ण प्रकरण व विषयवस्तु औचित्य सहित प्रस्तुत कर भुगतान संबंधी आदेश प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे सभी आदेशों की प्रति संकलित कर वित्त विभाग को अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जाए।

3. 27 मार्च 2023 से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक उपरोक्त निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार जिलाध्यक्ष से स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में चेक काटने हेतु कोषालय अधिकारी संबंधित चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को चेक बुक उपलब्ध करायेगें जिस पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कोषालय अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा।

4. वित्तीय वर्ष के लेन-देन की समाप्ति के पश्चात आहरण एवं संवितरण अधिकारी की अभिस्वीकृति लेकर चेक बुक वापस किया जा सकेगा।

निरंतर-2


16/3

5. कार्य विभागों में ई-कुबेर के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान की सुविधा प्रारंभ हो चुकी है। दिनांक 24 मार्च 2023 संध्या 5.00 बजे के पश्चात् कार्य विभागों द्वारा इस वित्तीय वर्ष के ऑनलाईन भुगतान पर रोक लगाई जाती है। संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जावे कि ऑनलाईन पेमेंट फाईल जनरेशन नहीं हो। अत्यावश्यक प्रकरण में वित्त विभाग की सहमति के पश्चात् ऑनलाईन भुगतान किया जा सकेगा।

(शारदा वर्मा)
विशेष सचिव

पृ.क्रमांक 548 / ब-4 / वित्त / 2023, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16 / 03 / 2023
प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, छत्तीसगढ़
6. निज सचिव/निज सहायक, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, बिलासपुर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय,
10. सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय
11. संचालक बजट, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय
12. विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव के निज सहायक, मंत्रालय
13. अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय
14. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख, मंत्रालय
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय
16. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन
17. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर
18. प्रोग्रामर, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, मंत्रालय, को वित्त विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

(शारदा वर्मा)
विशेष सचिव